न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 37 / 2016
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. ओमप्रकाश,
2. नत्थूराम एवं
3. लालचन्द आत्मजन श्री छतुराम, नायक, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

1. चांदीराम,
2. लक्ष्मीनारायण,
3. श्रीमती रूकमा,
4. श्रीमती बालू,
5. श्रीमती सुगना,
6. श्रीमती गौरां एवं
7. जैसाराम आत्मजन श्री अखाराम, नायक, दुल्लापुरकेरी,
8. श्रीमती धापू,
9. शंकरलाल आत्मजन श्री नारायण, नायक, दुल्लापुरकेरी,
10. श्रीमती कमली,
11. मनोहरलाल आत्मजन श्रीमती भानी आत्मजा श्री नारायणराम, नायक, दुल्लापुरकेरी,
12. मुकेश,
13. सुनील,
14. श्रीमती पूजा आत्मजन श्री चैनी, नायक, दुल्लापुरकेरी,
15. श्रीमती वीरा धर्मपत्नी श्री जैसाराम,
16. श्रीमती पारू आत्मजा श्री जैसाराम,
17. ओमप्रकाश,
18. जग्गू
19. जयलाल आत्मजन श्री जैसाराम, नायक, दुल्लापुरकेरी,
20. हुक्माराम आत्मज श्री हरजीराम, नायक, दुल्लापुरकेरी,
21. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (वादीगण)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–21)

दिनांक 17 अगस्त, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता 82 / 80 मुरब्बा नम्बर 5 की 1.581 हैक्टर, एवं 4

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

744 हैक्टर, खाता संख्या 79/77 मुरब्बा नम्बर 16 की 3.036 हैक्टर कुल 9.361 हैक्टर एतद्द्वारा 37.00 बीघा कृषि भूमि वादी के दादा स्व. श्री हरजीराम आत्मज श्री रूपाराम को भारत–पाक विभाजन पर आवंटित की गयी थी. श्री हरजीराम के परिवार में वह स्वयं, चूना(पत्नी), छतुराम(पुत्र), मीरा(पुत्रवधू), एवं अक्की(अंन्ची) पुत्री सम्मिलित थे.श्री अखाराम आत्मज श्री रूपाराम के परिवार में अखाराम स्वयं, जीवा पुत्री, जैसा लड़का, प्यारो लड़की कुल 4 सदस्य सम्मिलित थे. इस प्रकार कुल 9 सदस्यों के आधार पर कृषि भूमि आवंटित होने के कारण उसके परिवार का 5/9 हिस्सा बना तथा श्री अखाराम व उसके परिवचार का 4/9 हिस्सा बना, श्री हरजीराम एवं उसकी धर्मपत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है. वादीगण के पिता स्व. श्री छतुराम का उक्त भूमि में आवंटन के परिदृश्य 1/9 हिस्सा बना तथा उसकी माता, पिता एवं बहिन के 3/9 हिस्सा में भी हक व हिस्सा बना तथा पारिवारिक समझौता में कुल 12.00 बीघा भूमि कब्जा काश्त में चली आयी जिसका वह अकेला हकदार था. वादीगण के पिता स्व. श्री छतुराम द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त 37.10 बीघा एतद्द्वारा 9.361 हैक्टर में से उसके कब्जा काश्त की भूमि 3.036 हैक्टर की बाबत बन्द वसीयत दिनांक 15 जुलाई, 2008 को साक्षीगण श्री कीरताराम एवं सतपालसिंह के समक्ष अपनी स्वेच्छा से निष्पादित कर जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया तथा श्री छतुराम की दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को मृत्यु के पश्चात दिनांक 6 नवम्बर, 2009 को बन्द वसीयत खुलवाई जाकर पंजीबद्व करवायी गयी. जिसके अनुसार वादीगण उक्त 37.10 बीघा में से 12.00 बीघा कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर बराबर हकदार हैं तथा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं. वादीगण के दादा श्री हरजीराम की मृत्यु दिनांक 19 सितम्बर, 1968, वादीगण की दादी श्रीमती चुनी की मृत्यु दिनांक 12 अप्रेल, 1971 को एवं वादीगण के पिता श्री छतुराम की मृत्यु दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को एवं श्रीमती जमना की मृत्यु दिनांक 4 जून, 1985 को हो गयी है. प्रतिवादीगण लालचवश राजस्व अभिलेखों में स्व. श्री छतुराम के नाम पर दर्ज 1/10 हिस्सा दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर गलत तौर पर कृषि भूमि को अन्तरित करने में प्रयासरत हैं जबकि वादीगण वसीयत के आधार पर अपने नाम से उक्त 37.10 बीघा में से 12.00 बीघा अपने नाम पर खातेदारी घोषित करवाने तथा विभाजन करवाकर किलावाईज कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं. वादीगण वसीयत के आधार पर उक्त दोनों खातों की 37.10 बीघा में से 12.00 बीघा कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी हैं, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया गया कि वह छतुराम की वसीयत के आधार पर वादीगण को 12.00 बीघा कृषि भूमि का खातेदार, काश्तकार एवं हकदार मानते हुऐ राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवायें तथा दोनों खातों की भूमि का किलावाईज विभाजन करवाकर वादीगण के नाम पर 12.00 बीघा कृषि भूमि किलावाईज उनके नाम पर दर्ज करवाये तथा उनके हिस्सा कब्जा की भूमि को किसी अन्य को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करें एवं वादीगण को जबरन बेदखल न करें किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 1 मई, 2016 को साफ इन्कार हो गये. यही वादहेतुक वादीगण को उपलब्ध

है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता 82/80 मुरब्बा नम्बर 5 की 1.581 हैक्टर, एवं 4.744 हैक्टर, खाता संख्या 79/77 मुरब्बा नम्बर 16 की 3.036 हैक्टर कुल 9.361 हैक्टर एतद्द्वारा 37.00 बीघा कृषि भूमि में से 12.00 बीघा कृषि भूमि का खातेदार, काश्तकार एवं हकदार घोषित कर दोनों खातों की भूमि का किलावाईज विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि उनके नाम पर दर्ज करने के साथ साथ 12.00 बीघा कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल कर बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 15 जुलाई, 2008, श्री हरजीराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 7 फरवरी, 2011, श्री छतुराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2009, सरपंच, ग्राम पंचायत, दुल्लापुरकेरी द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2009, श्रीमती चुनी का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 7 फरवरी, 2011 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 7, 15 से 20 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7, 15 से 20 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 8, 10, 12, 13 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन की पावतियां प्राप्त होने पर रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने एवं प्रतिवादी संख्या 9, 11, 14 की तलबी हेतु पंजीकृत सम्मन दिनांक 18 अक्तूबर, 2015 को पंजीबद्व करवाये गये. नियमानुसार निर्धारित अवधि व्यतीत होने रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 से 14 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रतिवादी संख्या 21 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादपत्र में छतुराम के तीन वारिस दर्शाये गये हैं जबकि वारिसनामा के अनुसार श्री छतुराम के 8 वारिस हैं जिसमें मोहनलाल पुत्र मृत अंकित किया गया है वारिसनामा सलंग्न नहीं है. वसीयत दिनांक 15 जुलाई, 2008 जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 6 नवम्बर, 2009 को पंजीबद्व होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जबकि इस तथ्य की बाबत कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है. वादी को स्व. श्री छतुराम के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जबकि समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है. इस प्रकार राज्यहित को दृष्टिगत रखते हुऐ निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या वादीगण चक 5 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 82/80 मुरब्बा नम्बर 15 व 16 की 4.617 हैक्टर, खाता संख्या 79/77 मुरब्बा नम्बर 5की 4.744 हैक्टर कुल 9.361 हैक्टर में से वादीगण वसीयत दिनांक 15 जुलाई, 2008 के आधार पर 12.00 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी हैं?

..वादीगण

2. क्या वादीगण, प्रश्नगत कृषि भूमि में से 12.00 बीघा कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व, जबरन बेदखल करने, बंधक विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधज्ञाा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

.....वादीगण

3. क्या वादपत्र में स्व. श्री छतुराम के तीन वारिस तथा स्व. श्री छतुराम की बाबत जारी वारिसनामा के अनुसार 8 वारिसान अंकित किये गये हैं, इस प्रकार स्व. श्री छतूराम के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वादपत्र प्रभावित होता है? ....राज्यपक्ष

4. अनुतोष ?

विवाद्यकों के विनिश्चित हेतु साक्ष्य वादी हेतु श्री ओमप्रकाश, श्री लालचन्द, श्री किरताराम, श्री लालचन्द एवं श्री नत्थूराम द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. पैरोकार राज द्वारा साक्षीगण से जिरह नहीं करने तथा राज्यपक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने के परिणामताः आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2018 द्वारा साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की गयी. अभिलेख चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072(प्रदर्श–1), दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 15 जुलाई, 2008(प्रदर्श–2ए), श्री हरजीराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 7 फरवरी, 2011(प्रदर्श–3ए), श्री छतुराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2009(प्रदर्श–4ए), सरपंच, ग्राम पंचायत, दुल्लापुरकेरी द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2009(प्रदर्श–5ए), श्रीमती चुनी का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 7 फरवरी, 2011(प्रदर्श–6ए) प्रदर्श करवाये गये.

वादी अधिवक्ता एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या वादीगण चक 5 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 82/80 मुरब्बा नम्बर 15 व 16 की 4.617 हैक्टर, खाता संख्या 79/77 मुरब्बा नम्बर 5 की 4.744 हैक्टर कुल 9.361 हैक्टर में से वादीगण वसीयत दिनांक 15

जुलाई, 2008 के आधार पर 12.00 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी हैं? ..वादीगण

चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072(प्रदर्श–1) के अनुसार खाता 82/80 मुरब्बा नम्बर 5 की 1.581 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 16 की 3.360 हैक्टर कुल 4.744 हैक्टर कृषि भूमि गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग दर्ज है, इसके अतिरिक्त चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 79/77 मुरब्बा नम्बर 16 की 3.036 हैक्टर कृषि भूमि बाबत किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया. सुस्थापित सिद्वान्तों के अनुसार गैर खातेदारी(कस्टोडियन विभाग) की सनद जारी होने से पूर्व किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में, वादीगण उल्लेखित वसीयत दिनांक 15 जुलाई, 2008 के आधार पर किसी भी प्रकार से गैर खातेदारी कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन करवाने के अधिकार नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या वादीगण, प्रश्नगत कृषि भूमि में से 12.00 बीघा कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व, जबरन बेदखल करने, बंधक विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधज्ञाा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? ...वादीगण

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया गया है कि वसीयत की रूह से वादीगण उपरोक्त रकबा 37.10 बीघा में से 12.00 बीघा के बहिस्सा बराबर के हकदार हैं तथा अपने नाम पर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं, इसी प्रकार बिन्दु संख्या 6 में अंकित किया गया कि वसीयत के आधार पर अपने नाम से उक्त 37.10 बीघा में से 12.00 बीघा अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा विभाजन करवाकर किलावाईज रकबा दर्ज करवाने के हकदार हैं. किन्तु वादपत्र के किसी भी बिन्दु में वादीगण द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के किसी भी भाग पर अपना कब्जा होने के तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं. एवं न ही किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है. ऐसी स्थिति में, वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा के अभाव में वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में से 12.00 बीघा कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व, जबरन बेदखल करने, बंधक विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधज्ञाा प्राप्त करने के किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से अधिकारी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 3 – क्या वादपत्र में स्व. श्री छतुराम के तीन वारिस तथा स्व. श्री छतुराम की बाबत जारी वारिसनामा के अनुसार 8 वारिसान अंकित किये गये

हैं, इस प्रकार स्व. श्री छतूराम के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वादपत्र प्रभावित होता है?

...राज्यपक्ष

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में श्री हरजीराम की वंशावली प्रस्तुत की गयी है जिसमें मृतक श्री छतुराम के तीन वारिस क्रमशः सर्वश्री ओमप्रकाश, श्री नत्थूराम एवं श्री लालचन्द अंकित किये गये हैं तथा सरपंच, ग्राम पंचायत, दुल्लापुरकेरी द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2009(प्रदर्श–5ए) के अनुसार स्व. श्री छतुराम के कुल 9 वारिस दर्शाये गये हैं. चूंकि वादीगण द्वारा मात्र वसीयत दिनांक 15 जुलाई, 2008 के आधार पर ही वसीयत में अंकित 12..00 बीघा कृषि भूमि की बाबत अनुतोष चाहा गया है न कि अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा चाही गयी है. ऐसी स्थिति में, स्व. श्री छतुराम के अन्य वारिसान को प्रतिपक्षकार नहीं बनाये जाने का विचाराधीन वादपत्र प्रभावित नहीं होता है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 21 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार चूंकि गैर खातेदारी(क़स्टोडियन विभाग) की सनद जारी होने से पूर्व किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में, वादीगण वसीयत दिनांक 15 जुलाई, 2008 के आधार पर किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 16 अगस्त, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.